तांक

7/24

पत्रावली अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जरिये अधि० ...

पत्रावली अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अपने हक व हिस्से की स्थगन भूमि से आवेदन बाबत अपने हक व हिस्से की भूमि का बेचान करने की अनुमति देने के सम्बंध में पेश करने पर पेशी में ली गई। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि भूमि ख. नं. 350, 351, 354, 355 वाके ग्राम भादवाली के सम्बंध में प्रार्थी रोहिताश ने तीजू बेवा मंगला के हक हिस्से में से हिस्सेदारी क्लेम कर दावा उद्घोषणा बाबत पेश किया है। अप्रार्थी सं. 4 के हक व हिस्से का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीया चावली अक्सर बीमार रहती है व उसकी बीमारी के कारण काफी कर्जा भी हो चुका है व खाने-पीने व दवा के लिए रोज रुपयों की जरूरत पड़ती है, प्रार्थीया के पास आय का कोई अन्य जरिया नहीं है, अतः स्थगन आदेश दिनांक 4/1/17 में शिथिलता प्रदान करते हुए अप्रार्थी सं. 4 चावली को उसके हक व हिस्से की भूमि ख. नं. 350, 351, 354, 355 वाके ग्राम भादवाली को विक्रय करने व हस्तानान्तरण करने की इजाजत प्रदान करें। अधि. वादी को नकल दिलवाई गई। अधि. वादी द्वारा जवाब में समय चाहा। बहस सुनी जाने बाबत निवेदन किया, बहस अधि. उभयपक्ष सुनी गई। अधि. प्रार्थी द्वारा आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया चावली वृद्ध है तथा प्रार्थीया के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। प्रार्थीया अपने खर्चे व अपनी बीमारी तथा अपने कर्जे को उतारने के लिए अपने हक व हिस्से की भूमि का बेचान करना चाहती है। हमारी नजर में प्रार्थीया की स्थिति को देखते हुए प्रार्थीया के हक व हिस्से की भूमि का बेचान करने की अनुमति दिया जाना उचित है। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया चावली विवादित भूमि ख. नं. 350, 35, 354, 355 में से अपने हक व हिस्से की भूमि का बेचान करने के लिए स्वतन्त्र है। न्यायालय द्वारा का स्थगन आदेश दिनांक 4/1/2017 प्रार्थीया चावली द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि का बेचान करने की प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रोहिताश .... बनाम .... मोहनी

किस्म मुकदमा .... टी.आई. आवेदन .... मु. नं. 140 .... वर्ष 2017

दिनांक	आज्ञा पत्र
20/8/17	प्रार्थिया चावली देवी की ओर से जरिये अधि. आवेदन पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थिया द्वारा आवेदन इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थिया द्वारा बैंक का सम्पूर्ण बकाया चुकता कर दिया गया है लेकिन तहसीलदार सीकर द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण दर्ज करने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि स्थगन आदेश में रहन के सम्बन्ध में कोई शिथिलता प्रदान नहीं की गई है। आवेदन व पत्रावली का अध्ययन किया। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30/7/17 में सहवन से रहन की शिथिलता प्रदान नहीं की गई। अतः आदेश दिये जाते हैं कि चावली देवी के हक हिस्से पर दर्ज बैंक के रहन हटाये जाने की प्रक्रिया पर न्यायालय हाजा का स्थगन दिनांक 5/7/2017 लागू नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर